मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

क्रमांक : 166 / परीक्षा / 2021 जबलपुर, दिनाँक– 04 / 08 / 2021

उच्च न्यायालय में Personal Assistant के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष–2021

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि : 17 / 08 / 2021 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 / 09 / 2021 (11.55 PM)
ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा की दिनांक :
ऑनलाईन मुख्य परीक्षा की दिनांक : **बाद में अधिसूचित की जावेगी।**

निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों (भारतीय नागरिक) से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)–नियमित पदों की संख्या :–

Name of post	Category				Total Post
	UR	OBC	SC	ST	
Personal Assistant	11	03	03 (1 PH)	05	22 (1 PH)

*उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

(दो)–पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमा:–

High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, general conditions of services, conduct, classification, control and appeal) Rules, 2017" की "अनुसूची–एक" के "कॉलम क्र0–5, 6 & 7" के अनुसार निम्नानुसार है:–

पदनाम एवं वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	आयु सीमा दिनांक– 01.01.2021 से
Personal Assistant 9300–34800+ग्रेड पे 3600/–	1. Graduate from any recognized University. 2. Shorthand Examination in English from a recognized Board of Shorthand and Typewriting Examination @ 80 words per minute. 3. 1 year Diploma in Computer Application from the Institution recognized by the Government of Madhya Pradesh	18-40 वर्ष

*** सातवे वेतनमान के अनुसार उक्त पद का पे–मैट्रिक्स 36200–114800 होगा।**

(तीन)—संबंधित पद हेतु टीप :—

1. उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी0ए0, बी0कॉम0 या बी0एस0सी0 में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। **(जैसा कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010 (S) जबलपुर—राकेश यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 तथा अन्य आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में अभिनिर्धारित किया गया हैं)**

(चार)—आरक्षण संबंधी टीपः—

(1) म.प्र. राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। केवल म.प्र. के मूल निवासी आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(पांच)—चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :—

(1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित वर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो—

(क) उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।
(ख) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।
(ग) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
(घ) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
(ड) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम पर समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(4) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरूद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(6) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में मूल फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय को होगा।

(8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है, या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(10) इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन फार्म बहुत सावधानी से भरें, तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि श्रेणी/जन्मतिथि/विकलांगता/लिंग एवं आपराधिक प्रकरण के संबंध में की गई त्रुटि संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

(छः)–अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या

(3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(4) चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(5) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(6) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(7) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(8) आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।

(9) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(10) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या ऑनलाइन परीक्षा कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या कंप्यूटर या किसी तार, उससे जुड़े परिधीय या किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी परीक्षा केंद्र की इमारत या कोई अन्य चीज, या परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति से बात करना या कंप्यूटर स्क्रीन, टेबल या अन्य उम्मीदवारों के कम्प्यूटर में झाँकना इत्यादि।

(11) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण/कैलकुलेटर ब्लूटूथ डिवाईस, लिस्निंग डिवाईस, रिस्ट वॉच, अलार्म वॉच, रिकार्डिंग डिवाईस, इलेक्ट्रानिक गैजेट आदि प्रतिबंधित हैं और परीक्षा परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है, इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई की जायेगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है, अथवा

(12) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

खण्ड "ब"

(क)– आवेदन–शुल्क :–

श्रेणी	परीक्षा शुल्क (अ)	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क (ब)	योग (अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु (दिव्यांग को छोड़कर)	**रू. 200/–**	**रू. 722.16/–**	**रू. 922.16/–** (नौ सौ बाइस रूपये सोलह पैसे)
आरक्षित वर्ग (केवल म.प्र. के मूल निवासी) एवं/अथवा **दिव्यांग (विकलांग)** आवेदकों हेतु	**रू. 0/–**	**रू. 722.16/–**	**रू. 722.16/–** (सात सौ बाइस रूपये सोलह पैसे)

नोट :– (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो ।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रॉंजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं, तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(ख)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् **"Click on-Online Application Forms/Admit Cards"** पर Click करें जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 03 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार है:–

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0–मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य है, बाद में त्रुटि–सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड (Visa/Master debit card) अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :– कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर **(022–61306271)** पर तत्काल सम्पर्क करें।

नोटः–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड–"स"

(क)–परीक्षा की योजना :–

Personal Assistant पद की भर्ती 02 चरणों में आयोजित की जावेगी,

1. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा (100 अंक) एवं
2. ऑनलाईन मुख्य परीक्षा (100 अंक)।

(ख)–प्रवेश पत्र :– ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in में जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति–आवश्यक है, व्यतिक्रम में अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

(ग)–परीक्षा केन्द्र:–

1. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर के परीक्षा (सभी या आवश्यकतानुसार एक से अधिक) केन्द्रों में आयोजित की जा सकेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में सेवा प्रदाता (Service Provider) का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

2. यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ)–ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

Part	Syllabus	No. of Questions	Marks
A	(1) Basic GK, including MP State	20	20
	(2) English Grammar	30	30
	(3) General Computer knowledge	20	20
B	(4) Questions related to English Shorthand	30	30
Total		100	100

नोट :–

(1) परीक्षा की तिथि(यों) एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित (अपलोड) की जावेगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in का अवलोकन करते रहें।

(2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न–पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(सात) – आवश्यक सूचना :–

(1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय पाली मे होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नही दी जावेगी।

(3) अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडीकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी पूर्व अनुमति परीक्षार्थी को परीक्षा के पूर्व परीक्षा सेल से प्राप्त करनी होगी।

(4) परीक्षार्थी ऑनलाईन परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

(आठ)–: ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम :–

1. उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर परीक्षा के पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति/स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के सात (07) दिनों के अंदर लिखित रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं श्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, की स्व–हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। ई0 मेल द्वारा आपत्तियों पर विचार नहीं करते हुए नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

2. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:10 (प्रति पद के लिये लगभग 10 अभ्यर्थी) के अनुपात में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिये सफल घोषित किया जावेगा परंतु परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग मात्र होने से इसके प्राप्तांक को अंतिम परिणाम के समय विचार में नहीं लिया जावेगा।

(नौ)–: ऑनलाईन मुख्य परीक्षा का शुल्कः – वे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये जावेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये ₹ 577.02/- (पोर्टल शुल्क) सेवा प्रदाता को ऑनलाईन देय करना अनिवार्य होगा, जिसके लिये एक वेब लिंक उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अनिच्छुक माना जावेगा एवं संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(दस)–: आवेदन पत्र एवं दस्तावेजः –

1. सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन व दस्तावेज मंगाये जावेगें, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मलित होने के लिये सेवा प्रदाता को मुख्य परीक्षा के लिये दिये गये पोर्टल चार्ज की रसीद संलग्न किया जाना अति आवश्यक होगा। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं अथवा पोर्टल चार्ज की पावती नहीं लगाते है, उन्हें अपात्र किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित **लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।** यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। **आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता संबंधित पद में स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।** उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन अथवा ई0मेल पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति–आवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

खण्ड–"द"

(क)– ऑनलाईन मुख्य परीक्षा :– ऑनलाईन मुख्य परीक्षा 100 अंको की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(ख)–मुख्य परीक्षा केन्द्र– ऑनलाईन मुख्य परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में सेवा प्रदाता (Service Provider) का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि किन्ही कारणों से मुख्य परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

Subject	Marks	Time
English Stenography Dictation (Approx. 400 words)	100	5 Min. (Dictation) + 25 (For Transcription) = 30 Min.

नोट :–

(1) अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का अँग्रेजी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 25 मिनिट का समय दिया जायेगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कम्प्यूटर में टाईप कराया जावेगा, जिसका प्रिंट–आऊट अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में नहीं निकालना है।

(2) डिक्टेशन के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को डिक्टेशन की आवाज सही व स्पष्ट सुनाई दे रही है, मॉक डिक्टेशन दिया जायेगा, तत्पश्चात मूल डिक्टेशन दिया जायेगा, मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात् अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नही होगा, किसी अभ्यर्थी द्वारा अनावश्यक विवाद करने या बाधा उत्पन्न करने की दशा में उसे परीक्षा भवन से निष्कासित कर दिया जायेगा। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट–बुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट–बुक में डिक्टेशन Long Hand में लिखे होने पर **संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।**

(3) उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन में प्रत्येक त्रुटि (गलत शब्द, स्पैलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि) पर 1/2 (0.50) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती है, तो उसे शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।

(4) मुख्य परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की–बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना की–बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।

(ग्यारह): –अंतिम चयन सूची/परिणाम :–

उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात् श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

नोट– सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यक समझी जाये, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(बारह)

अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड/मार्कशीट म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा।

टीप:–1.ऑनलाईन परीक्षा व मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक व त्रुटियों के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. भर्ती के किसी भी चरण में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(तेरह)– प्रतीक्षा सूची (Waiting List) :–

प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6–07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक–14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

(चौदह)–नियुक्ति संबंधी टीप:–

(1) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(2) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से स्वयं के व्यय से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(पन्द्रह)–यात्रा व्यय का भुगतान–

ऑनलाईन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षा मे उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सोलह):—शुद्धिपत्रः—

उक्त रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन "शुद्धिपत्र" के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित "शुद्धिपत्र" को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। "शुद्धिपत्र" की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(सत्रह):— सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:—

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक व उत्तर पुस्तिका संबंधी जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट से आवेदन क्रमांक व पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेगा। इसके बावजूद यदि अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करता है, तब विहित शुल्क अदा करने व नियमानुमत होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने से 3 माह तक आवेदक अभ्यर्थी की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की जानकारी प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकता है। मुख्य परीक्षा के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन अंतिम परिणाम घोषित होने के पहले पोषणीय नहीं होगा।

(अठारह):— विनष्टीकरण:—

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर—पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन—पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(उन्नीस)—कोविड—19 महामारी से संबंधित निर्देश :—

परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा इत्यादि के पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड—19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा सेल द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

रजिस्ट्रार जनरल

**** ****